न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 61/2022(GCMS : 2022/89)

पंजाब नेशनल बैंक जरिये श्री निशान्त खुराना, प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक, कार्यालय SASTRA केन्द्र, प्रथम तल, मण्डल कार्यालय, नजदीक मीरा चौक, श्रीगंगानगर (राज.)

बनाम

1. **श्रीमती ज्योत्सना दावडा पत्नी श्री रवि कुमार दावड़ा** **1**. फ्लैट नं. 204, 2nd फ्लोर, टावर "ए" रिद्धि सिद्धि एंक्लेव 1st, श्रीगंगानगर, **2**. मकान नं. 3-सी-37 जवाहर नगर, श्रीगंगानगर एवं **3**. मकान नं. 101-स प्रेम नगर, श्रीगंगानगर (राज.)
2. **श्री रवि कुमार दावड़ा पुत्र श्री घनश्याम दास दावड़ा** **1**. फ्लैट नं. 204, 2nd फ्लोर, टावर "ए" रिद्धि सिद्धि एंक्लेव 1st, श्रीगंगानगर, **2**. मकान नं. 3-सी-37 जवाहर नगर, श्रीगंगानगर एवं **3**. मकान नं. 101-स प्रेम नगर, श्रीगंगानगर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

01.08.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 04.04.2022 को प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी बैंक द्वारा **अप्रार्थीगण ज्योत्सना दावड़ा एवं रवि दावड़ा को ऋण सुविधा के रूप में 8.65/- लाख रूपये (आठ लाख पैंसठ हजार मात्र)** का ऋण स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थीगण ज्योत्सना दावड़ा एवं रवि दावडा की **अचल सम्पत्ति रिहायशी फ्लैट नं. 204, 2nd फ्लोर, टावर "ए", चक 7 ई छोटी, रिद्धि सिद्धि एंक्लेव 1st, श्रीगंगानगर** को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखा। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 01.07.202[illegible] [illegible]र्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी [illegible] दिनांक 31.10.2021 को 7,66,892/-रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अति[illegible] के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.08.22 17:02:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

बकाया है, जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिनांक 29.11.2021 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने के लिए जारी किया गया। उक्त धारा 13(2) के 60 दिवस के नोटिस अप्रार्थी को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 01.12.2021 से भिजवाये गये है। जिसकी पावती के ऑनलाईन ट्रेक पत्रावली में उपलब्ध है, **इसके बावजूद भी अप्रार्थी ऋणीं द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है।** इसलिए अप्रार्थी ऋणी **द्वारा सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास दृष्टि बंधक** रखी गई अप्रार्थीगण ज्योत्सना दावड़ा एवं रवि दावडा की **अचल सम्पत्ति रिहायशी फ्लैट नं. 204, 2nd फ्लोर, टावर ‘‘ए’’, चक 7 ई छोटी, रिद्धि सिद्धि एंक्लेव 1st, श्रीगंगानगर** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने, प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण ज्योत्साना दावडा एवं रवि दावड़ा को 8.65/– लाख रूपये** के ऋण राशि की स्वीकृति **प्रदान की थी(दिनांक अंकित नहीं है।), जबकि पत्रावली में उपलब्ध ऋण स्वीकृति पत्र के अनुसार 7.65/– लाख रूपये के ऋण की स्वीकृति दिनांक 07.10.2010 को प्रदान की गई है।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ज्योत्साना दावड़ा एवं रवि दावड़ा ने अपनी **अचल सम्पत्ति रिहायशी फ्लैट नं. 204, 2nd फ्लोर, टावर ‘‘ए’’, चक 7 ई छोटी, रिद्धि सिद्धि एंक्लेव 1st, श्रीगंगानगर** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 01.07.2021 **को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रा[illegible] को धारा **13(2) के नोटिस दिनांक 29.11.2021** को जारी कर पोस्ट [illegible] डाक से दिनांक 01.12.2021 को भिजवाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। अप्रार्थी के धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोरस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.08.22 17:02:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी ज्योत्सना दावड़ा एवं रवि दावड़ा की **अचल सम्पत्ति रिहायशी फ्लैट नं. 204, 2nd फ्लोर, टावर "ए", चक 7 ई छोटी, रिद्धि सिद्धि एंक्लेव 1st, श्रीगंगानगर,** जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 29.11.2021 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 29.11.2021 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस अ**प्रार्थी को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 01.12.2021 को भिजवाये गये है,** जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है तथा धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति के परिणामस्वरूप ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है किन्तु धारा 13(2) के नोटिस एवं प्रार्थना पत्र में ऋण स्वीकृति राशि 8.65/— लाख रूपये अंकित है तथा ऋण स्वीकृति दिनांक अंकित नहीं है और पत्रावली में उपलब्ध ऋण स्वीकृति पत्र 7.65/— लाख रूपये का है जो दिनांक 07.10.2010 को स्वीकृत किया जाना अंकित है। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थ[illegible]ं नोटिस धारा 13(2) के प्रार्थना ऋण में अंकित राशि एवं स्वी[illegible] भिन्न है। **इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित [illegible]ा।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.08.22 17:02:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना दिनांक 04.04.2022 को खारिज किया जाता है। प्रार्थी बैंक उक्त अधिनियम 2002 की पूर्ण पालना करते हुए पुनः धारा 14 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 01.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.08.22 17:02:23 IST
Reason: SelfAttested